

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 01/2021 अंतर्गत नियम 30 नगर विकास न्यास
(भूमि निष्पादन नियम 1974)
(GCMS No. 2021/52)

अनवान:

1. आशिष सांखला पुत्र स्व. श्री किरण कुमार जाति माली निवासी एम.एम. ग्राउण्ड के पीछे, नत्थूसर बास, बीकानेर वगैरह।

बनाम

1. नगर विकास न्यास बीकानेर जरिये सचिव।
2. रणवीर सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी सी-413 करणी नगर लालगढ़, बीकानेर वगैरह।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम सीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

13.4.2026

